क्रमांक निस/प्रअ/3484/902/A/06-07
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर– 462 003

दूरभाष 2552646, 2552878 फैक्स 2552406, Email No encwrbpl@mp.nic.in

3
14/11/2011

प्रति,

भोपालः दिनांक 11 नवम्बर, 2011

(1)समस्त मुख्य अभियंता,
————————कछार/परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
———————— मध्यप्रदेश ।
(2) उपसंचालक, डाटा सेंटर, भोपाल ।

विषयः–साधारण, वार्षिक एवं विशेष मरम्मत ।

00

कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.037 में साधारण मरम्मत, 2.038 में विशेष मरम्मत कार्यों की व्याख्या की गई है । ऐसा अनुभव किया गया है कि साधारण मरम्मत, (Ordinary Repair), वार्षिक मरम्मत(Annual Repair), विशेष मरम्मत (Special Repair) के बारे में मैदानी अधिकारियों को स्पष्ट जानकारी नहीं है जिसे निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :–

(1) **साधारण मरम्मतः–** बॉध एवं नहरों से घास एवं झाड़ियों की सफाई (Ordinary Jungle Clearance), कांक्रीट, मेसोनरी के छोटे–मोटे कार्य, सर्विस रोड का सुधार, जल द्वारों के नट–बोल्ट, राड, स्किन प्लेट, कैप्सटेन हैड आदि के छोटे–मोटे सुधार, साधारण मरम्मत कार्य हैं । सिविल कार्य की स्वीकृति हेतु मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 के अध्याय 31 के सरल क्रं. 20 के व्दारा कार्यपालन यंत्री को बजट प्रावधान के अनुसार पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्राक्कलन बनाकर निविदा आमंत्रित करके पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु एजेंसी निर्धारित किया जाना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में भी प्राक्कलन अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता को भेजा जाना पाया गया है जो वांछित नहीं था ।

(2) **वार्षिक मरम्मत :–** नहर एवं टैंक गेज की पेंटिंग, नहर एवं बॉध के जल द्वारों की पेंटिंग, जैसे कार्य वार्षिक मरम्मत कार्य हैं, जिनकी आवृत्ति (Frequency), निश्चित रहती है । इसके प्राक्कलन भी कार्यपालन यंत्री स्तर से ही स्वीकृत होंगे स.क्रं. (1) में दिये गये विवरण अनुसार ही कार्यवाही होगी ।

(3) **विशेष मरम्मतः–** किसी बॉध में कोई विशेष समस्या हो, नहर के स्ट्रक्चर पूरी तरह टूट गये हों, किसी भवन में खपरैल को हटाकर स्लैब डाला जाना हो, आदि ऐसे कार्यों के उदाहरण हैं जो विशेष मरम्मत के अन्तर्गत आते हैं । साधारण मरम्मत

एवं वार्षिक मरम्मत के कार्यों में सीधे तकनीकी स्वीकृति दी जाती है **किन्तु विशेष मरम्मत के कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति आवश्यक होती है** । कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.038 में विशेष मरम्मत परिभाषित है । विशेष मरम्मत के अधिकार मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में निम्नानुसार है :–

(क) प्रशासकीय स्वीकृति :–

स.क्रं.	अधिकारी	राशि	संदर्भ
1	शासन	पूर्ण अधिकार	
2	मुख्य अभियंता	रू. 5.00 लाख	म.प्र. वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 स.क्रं(17) के अनुसार
3	अधीक्षण यंत्री	रू. 50,000/–	
4	कार्यपालन यंत्री	रू. 5,000/–	
5	मुख्य अभियंता वि/यां(उ.सिं.यो.हेतु)	रू. 10.00 लाख	

(ख) तकनीकी स्वीकृति (प्रशासकीय स्वीकति प्राप्त होने के बाद)

स.क्रं.	अधिकारी	राशि	संदर्भ
1	मुख्य अभियंता	पूर्ण अधिकार	स.क्रं (21) म.प्र. वित्तीय अधिकार पुस्तिका के अनुसार
2	अधीक्षण यंत्री	रू. 10.00 लाख	
3	कार्यपालन यंत्री	रू. 1.00 लाख	

अतः भविष्य में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

11.11.11

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल